

बिहार सरकार,
गृह (विशेष) विभाग।
आदेश

पटना, दिनांक-सितम्बर, 2015

संख्या-...../सी0, संशोधित वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131.घ. में निहित प्रावधान के तहत प्रत्येक अवसर पर रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) से रू0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक की खरीदारी हेतु त्रिसदस्यीय विभागीय क्रय समिति का गठन किया जाता है -

1. श्री महाशंकर मिश्र, अध्यक्ष
विशेष सचिव,
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।
 2. श्री कौशलेन्द्र पाठक, सदस्य
अपर सचिव,
गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
 3. श्री विमलेश कुमार झा, सदस्य
उप सचिव,
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।
2. इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर संबंधित सामग्रियों के क्रय के समय समिति के सहयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

ह0/-

(राजभूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या:- स्था0/सा0-01-23/2013-...10578/

पटना, दिनांक- 9/9/15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव-2 (श्री मिश्र) के आशुलिपिक, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव के आशुलिपिक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, श्री विमलेश कुमार झा, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्री श्याम मोहन दूबे, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

9/9